

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 938/1006/वि/नि/चार/2003

रायपुर, दिनांक 17.12.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- मृत शासकीय सेवक के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आश्रितता का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी ।

\*\*\*\*\*

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 47 के उपनियम 14 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) से (चार) में मृत शासकीय सेवक के परिवार पेंशन की पात्रता हेतु यथास्थिति पुत्र, अविवाहित या विधवा या विच्छिन्न विवाह पुत्री या माता-पिता राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नियत किये गये अनुसार आय/आश्रितता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।

राज्य शासन से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि उक्त प्रमाण-पत्र प्रदाय करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा । शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय/आश्रितता प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन हेतु मान्य किया जाय ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार




(आर.एस. विश्वकर्मा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
  4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छग. ।
  5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
  7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
  8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
  10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
  11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छग., रायपुर ।
  12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छग., रायपुर ।
  13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
  14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
  15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छग., रायपुर ।
  16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
  20. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC ), को वित्त विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग